न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/06/2022, रजि0 न0 2022/9

अपीलार्थीः—

श्री भागीरथ यादव पुत्र श्री शुभराम यादव निवासी, ग्राम कारोडा तहसील बहरोड, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः—

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 06.04.2022

1—अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड को आवेदन पत्र दिनांक 23.12.2021 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2—अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड। द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3—अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 09.02.2022 को उपस्थित आवें।

4—अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड ने जर्ये पत्राक 848—49 दिनाक 16.02.2022 के द्वारा अपील का बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड ने अंकित किया है, कि अपीलार्थी द्वारा चॉही गयी अपेक्षित सूचना कार्यालय के पूर्व पत्राक 847 दिनाक 16.02.2022 के द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करायी जा चुकि है। मुताबिक जवाब के अपेक्षित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करायी जा चुकि है, जिसके आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

5—राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड द्वारा प्रस्तुत अपील के बिन्दूवार जवाब के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।

6—निर्णय आज दिनांक 06.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7—पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0 सुनीता पंकज)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)